न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 439/2023

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. पेमाराम गोद पुत्र अमराराम 2. ओमप्रकाश पुत्र लालुराम 3. पुरूषोतम पुत्र लालुराम (जाति सुथार, निवासी खोडाल, तहसील शिव, जिला बाडमेर)		1. सत्यदेव पुत्र स्व0 ताराचन्द 2. कस्तुरचन्द पुत्र स्व0 ताराचंद 3. सवाईराम पुत्र स्व0 रूपाराम 4. नारायणराम पुत्र स्व0 रूपाराम (जाति सुथार, निवासी खोडाल, तहसील शिव, जिला जोधपुर) 5. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर बाडमेर दिनांक 30.07.2019 राजस्व प्रथम अपील संख्या 07/2019 अनवान ताराचंद व अन्य बनाम तहसीलदार शिव वगैरा

उपस्थित–
1. वकील अपीलांट्स अनुपस्थित
2. श्री मोहनलाल खत्री वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 से 4 की ओर से उपस्थित
3. श्री नवलसिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 5 की ओर से उपस्थित

निर्णय

दिनांक 11.06.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलाण्ट्स ने जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा राजस्व प्रथम अपील संख्या 07/2019 ताराचन्द व अन्य बनाम तहसीलदार शिव वगैरा में पारित आदेश दिनांक 30.07.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसील शिव स्थित ग्राम खोडाल के खसरा नं0 33, 45, 71, 114, 186 व 205 रकबा क्रमश 7.06, 13.13, 12.15, 9.06, 76.19 व 122.07 बीघा कुल रकबा 242.06 बीघा की भूमि रूपा, अमरा, लालू पि0 लाधा जाति सुथार के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। खातेदार अमरा के फौत होने पर इनके उत्तराधिकारी के रूप में अपीलांट सं0 1–पेमाराम के नाम सरपंच ग्राम पंचायत राजडाल द्वारा नामान्तरकरण संख्या 109 दिनांक 16.09.1981 को स्वीकृत किया गया। इससे व्यथित होकर रेस्पो0–ताराचंद वगैरा द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

समक्ष आरएलआर एक्ट की धारा 75 के तहत प्रथम अपील सं0 41/2013 प्रस्तुत की गई। जिसमें पारित निर्णय दिनांक 24.9.14 द्वारा अपील स्वीकार कर ना0क0सं0 109 को अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार शिव को मृतक खातेदार के विधिक उत्तराधिकारियों की जांच करके नये सिरे से ना0क0 दायर करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। जिस पर तहसीलदार शिव द्वारा प्रकरण सं0 01/2015 में पारित आदेश दिनांक 15.7.15 के द्वारा अपीलांट सं0 1–पेमाराम को मृतक खातेदार अमरा का उत्तराधिकारी मानते हुए ना0क0सं0 109 को बहाल किया गया। तहसीलदार शिव के उक्त आदेश से व्यथित होकर रेस्पो0–ताराचंद वगैरा द्वारा न्यायालय जिला कलेक्टर बाडमेर के समक्ष राजस्व अपील संख्या 07/2019 प्रस्तुत की गई तथा उपखण्ड अधिकारी शिव के आदेश से व्यथित होकर अपीलांट सं0 1–पेमाराम ने न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष राजस्व द्वितीय अपील सं0 20/2015 प्रस्तुत की गई। जो रेस्पो0सं0 3 द्वारा लिखित बहस के आधार पर निर्णय दिनंक 27.1.16 के द्वारा " कि रिमाण्ड प्रकरण में तहसीलदार शिव द्वारा ना0क0सं0 109 को बहाल करने के विरूद्ध रेस्पो0–ताराचंद वगैरा ने न्यायालय जिला कलेक्टर बाडमेर के समक्ष प्रथम अपील सं0 7/15 प्रस्तुत करने यह अपील प्रभावहीन होने से खारिज कर दी गई। उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में अपील सं0 994/2016 प्रस्तुत की गई, जो नोट प्रेस के साथ निस्तारित की गई।

तत्पश्चात जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.7.24 द्वारा अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शिव द्वारा प्रकरण सं0 01/2015 में पारित आदेश दिनांक 15.7.15 को अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः नये सिरे से विधिसम्मत कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। जिला कलेक्टर बाडमेर के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स–रेस्पो0सं0 2 से 3 ने आरएलआर एक्ट की धारा 75 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु अवधि गणनार्थ अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। जो न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

दौनान बहस वकील अपीलांट्स के अनुपस्थित रहने से अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को बहस का आधार मानते हुए रेस्पो0 अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी जाकर, प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में मुख्यतः यह निवेदन किया है कि अपीलांट्स एवं रेस्पो0सं0 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी के पुश्तैनी खेत खसरा नं0 33, 45, 71, 114, 186 व 205 रकबा क्रमशः 7.06, 13.13, 12.15, 09.06, 76.19, 122.07 बीघा कुल रकबा 242.06 बीघा भूमि राजस्व रेकर्ड में रूपा, अमरा, लालू पिसरान लाधा जाति सुथार निवासी खोडाल के नाम दर्ज थी।

खातेदार अमराराम वर्ष 1981 में फौत हुए। अमराराम ने अपने जीवन काल में दिनांक 10.5.78 को अपने भाई रूपा, लालू व गांव बस्ती एवं तत्समय के सरपंच के रूबरू लालूराम के बडे पुत्र पेमाराम को गोद लिया। जिसका गोदनामा बही में लिखा जाकर सभी के हस्ताक्षर करके बिरादरी में गुड बांट, ढोल नगाडे बजा कर व लिखित गोदनामे की रस्म अदा कर पेमाराम को अमराराम का गोद पुत्र अर्थात प्रथम वर्ग का विधिक वारिस बनाया गया। अमराराम का फौतेदगी म्युटेशन दिनांक 16.9.81 को पारित किया गया, तब से पेमाराम उक्त भूमि में 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त स्वीकृत ना0क0 के 35 वर्ष पश्चात तथाकथित अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष प्रस्तुत की गई। जो मियाद बाहर थी व उसमें मियाद बिन्दु पर कोई संतोषप्रद कारण पेश नही किया गया। जिसमें विद्वान उपखण्ड अधिकारी द्वारा दोनो पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नही दिया गया। क्योंकि नोटिस में पेमा पुत्र लालू लिखा गया, जबकि पेमा गोद पुत्र अमरा है। तथाकथित कुंनिदा की रिपोर्ट में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश 05 नियम 17 से 19 सीपीसी के तहत तामील की सत्यता की जांच नही जाकर एक पक्षीय आदेश पारित किया गया। उक्त तथाकथित पत्रावली/अपील में पेमा पुत्र लालू के दस्तावेज पेश किए गये। जबकि समस्त दस्तावेज यथा मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, राजस्व रेकर्ड, मूल निवास पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विद्युत संबंधी प्रमाण पत्र में वल्दियत अमरा अंकित है। जिसके आधार पर ना0क0सं0 109 दिनांक 16.9.81 पूर्णत विधि सम्मत, सही व शुद्ध भरा गया था। हल्का पटवारी की प्रविष्टि में गोद पुत्र का अंकन नही होने से अपीलांट पेमाराम को दंडित नही किया जा सकता है। जबकि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अपील एक पक्षीय स्वीकार कर ना0क0सं0 109 अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार शिव को अमरा के विधिक उत्तराधिकारियों की जांच कर नये सिरे से ना0क0 दायर करने की कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया गया।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार शिव द्वारा दर्ज प्रकरण में उभय पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर अपीलांट–रेस्पो0सं 02–पेमाराम को मृतक खातेदार अमरा का गोद पुत्र के आधार पर विधिक उत्तराधिकारी मानते हुए ना0क0सं0 109 बहाल कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर वर्तमान रेस्पो0–अपीलांट्स ने जिला कलेक्टर बाडमेर के समक्ष राजस्व प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30.7.24 द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार शिव द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.7.15 को अपास्त कर प्रकरण पुनः नये सिरे से विधिसम्मत कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया गया, जिसमे तथ्यों व कानून की बडी भारी भूल हुई है। क्योंकि जिला कलेक्टर बाडमेर को आरएलआर एक्ट की धारा 135 (2) के तहत सुनवाई का अधिकार प्राप्त नही था व बिना सुनवाई के अधिकार के तहत पारित अपीलाधीन आदेश खारिज येाग्य है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.7.19 को अपास्त करने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 से 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि विवादित भूमि अपीलांट्स एवं रेस्पो0सं0 1 से 4 की पुश्तैनी भूमि स्व0 लाधा के खातेदारी में दर्ज थी। जो खातेदार लाधा के फौत होने पर उनके तीन पुत्र कमशः रूपा, अमरा व लालू के नाम दर्ज हुई। खातेदार अमरा अविवाहित रहा एवं लाऔलाद ही फौत हुआ। जिससे उसके हिस्से 1/3 की भूमि उसके दोनों सगे भाईयों के हिस्से में मर्ज होकर अपीलांट् व रेस्पो0 के 1/2 हिस्से में दर्ज होनी चाहिए थी, किंतु अपीलांट्स–2–पेमराराम ने आपसी मिली भगत से स्वयं को स्व0 अमरा का गोद बताकर जरिये नामान्तकरण सं0 109 दिनांक 16.9.81 अमरा के 1/3 हिस्से को अपने नाम दर्ज करवा लिया गया। जिसके विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव के समक्ष प्रस्तुत राजस्व प्रथम अपील में पारित निर्णय दिनांक 29.4.14 स्वीकार कर उक्त ना0क0सं0 109 खारिज कर, प्रकरण पुनः जांच उपरांत नये सिरे से ना0क0 पारित करने हेतु तहसीलदार शिव को रिमाण्ड किया गया। तहसीलदार शिव द्वारा अपंजिकृत गोदनामा एवं मौखिक बयानों पर विश्वाास कर पेमाराम को मृतक खातेदार का वारिस

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

मानते हुए अपील न्यायालय द्वारा खारिज किये गये ना0क0 को बहाल रखे जाने का क्षेत्राधिकार विहीन व विधि विरूद्ध आदेश पारित कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय जिला कलेक्टर बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत राजस्व प्रथम अपील सं0 7/2019 में पारित निर्णय दिनांक 30.7.19 द्वारा अपील स्वीकार कर तहसीलदार शिव का अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.7.15 अपास्त कर प्रकरण पुनः नये सिरे से विधिसम्मत कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। इस आदेश के विरूद्ध अपीलांट्स द्वारा उक्त राजस्व द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जो सारहीन होने से अपील अपीलांट्स खारिज कर अपीलाधीन आदेश यथावत रखने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार यह पाया गया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तदनुसार खारीज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर बाडमेर द्वारा राजस्व अपील सं0 07/2019 में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.07.2019 न्यायोचित एवं विधिसम्मतः होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11 जून, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

11.06.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर